

पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 में पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत प्रदेश में विभिन्न क्षमता के स्थापित निजी ऑनग्रिड पम्प सोलराइजेशन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य 30 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के कृषको हेतु राज्य अनुदान 70 प्रतिशत अनुमन्य किया गया है। अन्य श्रेणी के कृषको हेतु केन्द्रीय अनुदान 30 प्रतिशत के अतिरिक्त 60 प्रतिशत राज्य अनुदान अनुमन्य है एवं 10 प्रतिशत अंशदान कृषको द्वारा वहन किया जायेगा।
- पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत विभिन्न क्षमता (3 एचपी, 05 एचपी एवं 7.5 एचपी) के स्थापित मीटर्ड निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु सोलर पावर प्लाण्ट क्री स्थापना कराये जाने हेतु इच्छुक लाभार्थी कृषको द्वारा यूपीनेडा की वेबसाइट www.upneda.org.in पर विकसित पोर्टल <http://upnedakusumc1.in> के माध्यम से आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- इच्छुक लाभार्थी कृषक द्वारा आनलाइन किये गये आवेदन का परीक्षण संबंधित जनपदीय परियोजना अधिकारी द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
- निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु संयंत्र की अनुमोदित दरें, अनुदान एवं कृषक अंशदान का विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	पम्प की क्षमता (एचपी)	सोलर पावर प्लाण्ट की क्षमता (किलोवाट)	दर प्रति संयंत्र जीएसटी सहित (रूपये में)	अनुदान एवं कृषक अंशदान प्रति संयंत्र (रूपये में)			
				केन्द्रांश 30%	राज्यांश 60%	कुल अनुदान 90%	कृषक अंशदान 10%
1	3 एचपी	4.5 कि०वा०	265439	79632	159263	238895	26544
2	5 एचपी	7.5 कि०वा०	426750	128025	256050	384075	42675
3	7.5 एचपी	11.2 कि०वा०	623909	187173	374345	561518	62391

- निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु अनुमोदित/अनुबंधित फर्मों का विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	फर्म का नाम	मो० नं०
1	पावन ग्रीन एनर्जी इण्डिया प्रा०लि०, फिरोजाबाद।	7409888210
2	इन्टीको टैक्निकल सर्विस प्रा०लि०, लखनऊ।	9936394430
3	के. एल. के. वेन्चर्स प्रा०लि०, नोयडा।	9354904197
4	मित्तल मशीनस प्रा०लि०, देहरादून।	9897099277

- इच्छुक लाभार्थी कृषको के द्वारा आनलाइन आवेदन एवं 10 प्रतिशत कृषक अंशदान आनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किया जायेगा।
- लाभार्थी कृषको से 10 प्रतिशत अंशदान प्राप्त होने के उपरांत यूपीनेडा की अनुमोदित/अनुबंधित फर्म द्वारा मीटर्ड निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लाण्ट की आपूर्ति, स्थापना, कमिश्निंग एवं 05 वर्षों की कम्प्रीहेन्सिव मेन्टीनेंस तथा नेट मीटरिंग की व्यवस्था 04 माह की अवधि के अन्तर्गत की जायेगी।

पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना के अन्तर्गत निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु आवेदन प्रारूप-1

आवेदक का विवरण		सत्यापनकर्ता अधिकारीका नाम/पद नाम/उसकी रिपोर्ट/हस्ताक्षर दिनांक सहित	
आवेदक कृषक का नाम		स्थानीय लेखपाल/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी	
पिता/पति का नाम			
क्या आवेदक मुसहर/वनटगिया/अनुसूचित जनजाति श्रेणी का है? (हां/नहीं)			
यदि हां तो श्रेणी (मुसहर/वनटगिया/अनुसूचित जनजाति)			
ग्राम			
विकास खण्ड			
जनपद			
मोबाईल नं०			
पूर्व से स्थापित पम्प की क्षमता (कि.वा/एचपी)			स्थानीय विद्युत वितरण डिवीजन का अवर अभियन्ता
विद्युत वितरण डिवीजन का नाम			
विद्युत कनेक्शन संख्या			
मीटर्ड/अनमीटर्ड			
निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन हेतु आवेदक की सहमति(हां/नहीं)			
सोलर संयंत्र लगाने के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध कराने के लिए आवेदक की सहमति (हां/नहीं)			
यदि आवेदक मुसहर/वनटगिया/अनुसूचित जनजाति श्रेणी का नहीं है, तो उस दशा में क्या आवेदक 10 प्रतिशत का आर्थिक अंशदान देने के लिए सहमत है? (हां/नहीं)			

लाभार्थी का नाम:

हस्ताक्षर: